

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 13( )ब.घो.17-18/प्रो. यो./सान्याअवि/17/ 13905

जयपुर, दिनांक : 11-3-2022

परिपत्र

विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के मूल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित All India Services ( IAS, IPS, IFS) में, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में अन्तिम रूप चयन होने तथा योजना में सूचीबद्ध IIT, IIM, AIIMS, NLU एवं IISc में प्रवेश पाने वाले मेधावी अभ्यर्थियों को एक मुश्त सहायता राशि दिए जाने की योजनाओं को बजट घोषणा संख्या 107/2021-22 की अनुपालना में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.2021 के द्वारा प्रारम्भ की गई “मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना“ सम्मिलित किये जाने के कारण उक्त योजनाओं को भी वित्त विभाग के परिपत्र जारी होने की तिथि से ही बंद किया जाता है।

उक्त परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 162200086 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(ओ.पी.बुनकर)


निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ 13( )ब.घो.17-18/प्रो. यो./सान्याअवि/17/ 13906-85 जयपुर, दिनांक : 11-3-2022  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।



8. समस्त जिला कलक्टर .....
9. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
राजस्थान जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान  
जयपुर।
11. ससुंक्त निदेशक (योजना)/मुख्य लेखाधिकारी/ उपनिदेशक (देवनारायण)  
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/ सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक  
(शिक्षा), मुख्यावास।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .....  
.....।
13. सम्बन्धित पत्रावली।

  
(डालचन्द वर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)